उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–1
संख्या–सं0वि0क0नि0–1– 2096 /11–2009–21/09
लखनऊ::दिनांक:: 02/09, 2009

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

तात्कालिक प्रभाव से श्री केदार प्रसाद केसरी, वाणिज्य–कर अधिकारी को चयन वर्ष [illegible] की रिक्ति के सापेक्ष कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 19–1–2007 से असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य–कर के पद पर वेतनमान रू0 8000–13500 में नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2– श्री केदार प्रसाद केसरी को नोशनल पदोन्नति एवं नियमित पदोन्नति की तिथियों के मध्य की अवधि के लिए कोई एरियर का भुगतान देय नहीं होगा। उक्त पदोन्नति मा0 अधिकरण में विचाराधीन निर्देश याचिका स0–1621/2007 में पारित होने वाले अग्रिम/अंतिम आदेश के अधीन होगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

देश दीपक वर्मा,
प्रमुख सचिव।

संख्या–सं0वि0क0नि0–1– 2096 (1)/11–2009–तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. कमिश्नर, वाणिज्य–कर, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल उनके प्रोन्नति के पद पर योगदान इस प्रतिबन्ध के साथ कराना सुनिश्चित करें कि वे अग्रिम तैनाती के आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे तथा वाणिज्य–कर अधिकारी के पद की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए अधिकृत बने रहेंगे।
2. लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा) उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, वाणिज्य–कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सम्बन्धित अधिकारी को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे असिस्टेंट कमिश्नर के पद का तुरन्त कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी योगदान आख्या कमिश्नर, वाणिज्य–कर, उ0प्र0 लखनऊ को प्रस्तुत करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0बी0 सिंह)
अनु सचिव।